पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं.– 4197/2024

= =

मनोज कुमार श्रीवास्तव, पिता– स्वर्गीय हजारी लाल, ग्राम+ पोस्ट– हाता, थाना–चैनपुर, जिला– कैमुर (भभुआ), बिहार, पिन–82106

.... याचिकाकर्ता/गण

बनाम्

1. बिहार राज्य, प्रधान सचिव, निबंधन विभाग, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से
2. निबंधन महानिरीक्षक, बिहार सरकार, पटना
3. निबंधन महानिरीक्षक, बिहार सरकार, पटना प्रमंडल, प्रथम तल, छज्जूबाग, पटना
4. जिला दंडाधिकारी सह कलेक्टर, कैमूर (भभुआ)
5. जिला अवर निबंधक, कैमूर (भभुआ)
6. अंचल अधिकारी, चैनपुर, कैमूर (भभुआ)

... . उत्तरदातागण

= =

उपस्थितिः

याचिकाकर्ता/ओं के लिए	:	श्री अभिषेक, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी/ओं के लिए	:	श्री सरकारी अधिवक्ता 11

= =

क्या पंजीकरण के बाद शुरू की गई कलेक्टर की घाटे की स्टाम्प ड्यूटी की मांग भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 47 ए(3) के तहत वैध थी – पंजीकरण के बाद बाजार मूल्य के मूल्यांकन के लिए मामले को संदर्भित करने में प्रक्रियात्मक खामियां। – न्यायालय ने माना कि कलेक्टर पंजीकरण के दो साल के भीतर धारा 47 ए(3) के तहत स्वप्रेरणा शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। हालांकि, इस मामले में, धारा 47 ए(1) के अनुपालन के बिना पंजीकरण के बाद संदर्भ शुरू किया गया था, जिससे कार्यवाही अमान्य हो गई (पैरा 8)। – निर्णय ने प्रक्रियात्मक अनुपालन पर जोर दिया, जिसमें तेतर देवी और शहनाज बेगम जैसे उदाहरणों पर भरोसा करते हुए, आपत्तिजनक मांग को रद्द कर दिया गया (पैरा 7)।

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

= =

कोरमः माननीय न्यायमूर्ति श्री मोहित कुमार शाह

मौखिक निर्णय

तारीखः 24-06-2024

वर्तमान रिट याचिका, समाहर्ता-सह-जिला दंडाधिकारी, कैमूर (भभुआ) के विद्वान न्यायालय द्वारा स्टाम्प अपील वाद संख्या 3/2023 में पारित दिनांक 5.9.2023 के आदेश को रद्द करने के लिए दायर की गई है, जिसके तहत याचिकाकर्ता को 5,91,280/- रुपये के स्टाम्प शुल्क के साथ-साथ 59,128/- रुपये की राशि का जुर्माना, कुल मिलाकर 6,50,408/- रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है।

2. याचिकाकर्ता के अनुसार मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता ने मौजा-हाता, अंचल-चैनपुर थाना संख्या-169, जिला-कैमूर में स्थित खाता संख्या 597 से संबंधित एक कृषि भूमि, जिसका प्लॉट संख्या-273 और प्लॉट संख्या 277 है, कुमार राकेश सिन्हा, पिता- स्वर्गीय प्रधान विमलानंद सिन्हा से एक बिक्री विलेख के माध्यम से खरीदी, जिसे बिक्री विलेख संख्या- 6584, दिनांक 03.9.2021 के माध्यम से जिला निबंधन पदाधिकारी कैमूर (भभुआ) के समक्ष प्रस्तुत और पंजीकृत किया गया। याचिकाकर्ता ने न्यूनतम मूल्यांकन रजिस्टर के अनुसार पंजीकरण शुल्क और स्टांप शुल्क का भुगतान किया था और उसके बाद ही, जिला उप-पंजीयक, कैमूर द्वारा भभुआ में बिक्री विलेख दिनांक 3.9.2021 को पंजीकृत किया गया था। इसके बाद याचिकाकर्ता ने उक्त भूमि के दाखिल खारिज के लिए अंचल अधिकारी, चैनपुर, कैमूर (भभुआ) के समक्ष दाखिल खारिज वाद संख्या- 1353/2021-22 के तहत आवेदन किया था, जिस पर अंचल अधिकारी, चैनपुर, कैमूर (भभुआ) ने उचित जांच के बाद दाखिल खारिज की अनुमति दी थी और याचिकाकर्ता के पक्ष में नई जमाबंदी बनाई गई थी। इसके बाद याचिकाकर्ता ने उक्त भूमि को विभिन्न तिथियों के विभिन्न बिक्री विलेखों के माध्यम से विभिन्न खरीदारों को बेच दिया था, जिसमें इसे आवासीय श्रेणी में दर्शाया गया था और उक्त बिक्री विलेखों को कैमूर के जिला उप- निबंधक कार्यालय, भभुआ द्वारा पंजीकृत किया गया था। फिर भी, याचिकाकर्ता को स्टाम्प अपील वाद संख्या 3/2023 में समाहर्ता-सह-जिला दंडाधिकारी, कैमूर (भभुआ) के विद्वान न्यायालय द्वारा दिनांक 23.01.2023 को नोटिस जारी किया गया, जिसके आधार पर याचिकाकर्ता समाहर्ता-सह-जिला दंडाधिकारी, कैमूर (भभुआ) के विद्वान न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ तथा अपनी आपत्ति/उत्तर दाखिल किया, जिसमें प्रश्नगत भूमि के न्यूनतम मूल्य रजिस्टर की प्रति तथा उसके पक्ष में निष्पादित विक्रय

विलेखों की प्रति तथा याचिकाकर्ता द्वारा विभिन्न क्रेताओं को बेची गई उक्त भूमि से संबंधित विलेखों की प्रति भी संलग्न की, ताकि यह प्रदर्शित किया जा सके कि याचिकाकर्ता ने जिला निबंधक कार्यालय, कैमूर (भभुआ) के स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर स्टाम्प शुल्क का भुगतान किया है। हालाँकि, समाहर्ता–सह–जिला दंडाधिकारी, कैमूर (भभुआ) के विद्वान न्यायालय ने याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत तथ्यों और साक्ष्यों की सराहना किए बिना और याचिकाकर्ता को सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना, मनमाने और यांत्रिक तरीके से दिनांक 5.9.2023 को आपत्तिजनक आदेश पारित कर दिया, जिसमें याचिकाकर्ता को 6,50,408/– रुपये की कमी वाले स्टाम्प शुल्क का भुगतान करने का निर्देश दिया गया।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि यदि पंजीयन अधिकारी को विश्वास हो कि संपत्ति का वर्गीकरण या संपत्ति में निहित संरचना का माप गलत है या संपत्ति का बाजार मूल्य अनुमानित न्यूनतम मूल्य के दिशानिर्देश रजिस्टर की तुलना में कम दर पर निर्धारित किया गया है, केवल प्रश्नगत उपकरण को पंजीकृत करने से पहले, हालांकि वर्तमान मामले में, जिला उप–रजिस्ट्रार, कैमूर (भभुआ) ने पत्र दिनांक 17.12.2022 के माध्यम से, घाटे के स्टाम्प शुल्क की वसूली के लिए भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (इसके बाद "अधिनियम, 1899" के रूप में संदर्भित) के प्रावधानों के तहत कार्यवाही शुरू करने के लिए विद्वान कलेक्टर–सह–जिला दंडाधिकारी, कैमूर (भभुआ) को मामला संदर्भित किया था। यानी 3.9.2021 को बिक्री विलेख के पंजीकरण के बाद, इसलिए, उक्त संदर्भ अपने आप में कानून में गलत है। अधिनियम, 1899 की धारा 47 ए (1) का संदर्भ दिया गया है, जिसे नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है: –

> "47–ए (1) जहां पंजीकरण अधिनियम, 1908 के तहत नियुक्त पंजीकरण अधिकारी किसी भी हस्तांतरण, विनिमय, उपहार, विभाजन या निपटान के उपकरण को पंजीकृत करते समय संतुष्ट हैं कि संपत्ति का वर्गीकरण और / या संपत्ति में निहित संरचना का माप जो ऐसे उपकरण का विषय है, गलत तरीके से निर्धारित किया गया है या संपत्ति का बाजार मूल्य, जो ऐसे उपकरण का विषय–वस्तु है, उसे इस अधिनियम के प्रावधान के तहत तैयार नियमों के तहत तैयार अनुमानित न्यूनतम मूल्य के मार्गदर्शक रजिस्टर की तुलना में कम दर पर निर्धारित की गई है, तो वह ऐसी संपत्ती को पंजीकृत करने से पूर्व ऐसी संपत्ति के उचित बाजार मूल्य और उस पर देय उचित शुल्क के निर्धारण के लिए कलेक्टर को भेजेगा। परन्तु जहां ऊपर वर्णित लिखतों की सम्पत्ति का बाजार मूल्य ऐसी राशि पर नियत किया गया है जो इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन बनाए गए नियमों

के अधीन तैयार किए गए अनुमानित न्यूनतम मूल्य के मार्गदर्शक रजिस्टर में विहित मूल्य से कम नहीं है, किन्तु पंजीयन अधिकारी के पास यह विश्वास करने के कारण हैं कि सम्पत्ति का बाजार मूल्य, जो ऐसे लिखत की विषय–वस्तु है, ठीक से निर्धारित नहीं किया गया है या यह अनुमानित न्यूनतम मूल्य से अधिक है, वहां वह ऐसे लिखत को पंजीकृत करने के पश्चात, सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य और उस पर देय उचित शुल्क के निर्धारण के लिए उसे उचित कारण बताते हुए कलेक्टर को निर्दिष्ट करेगा। "

4. इस संबंध में, याचिकाकर्ता ने इस न्यायालय के विद्वान खंडपीठ द्वारा दिए गए निर्णय का हवाला दिया है, जिसकी रिपोर्ट 2018 (3) पीएलजेआर 136 ***(बिहार राज्य और अन्य बनाम श्रीमती तेत्रा देवी)*** में दी गई है, जिसके कंडिका संख्या– 14 और 15 नीचे पुन: प्रस्तुत हैं:–

"14. वर्तमान मामले में, कलेक्टर ने इस आधार पर नोटिस जारी किया है कि पंजीकृत दस्तावेज में स्टाम्प शुल्क की कमी है। उन्होंने उप–पंजीयक या आयुक्त की रिपोर्ट पर नोटिस जारी किया होगा। तथ्य यह है कि वह अपनी स्वप्रेरणा शक्ति का प्रयोग कर रहा है। ऐसा नोटिस दस्तावेज के पंजीकरण के दो साल के भीतर ही जारी किया जा सकता है। यहां तक कि अगर यह जांच की जाए कि नोटिस उप–पंजीयक के कहने पर जारी किया गया था, तो उप–पंजीयक दस्तावेज के पंजीकरण के समय नियम 9 और 10 के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य था। वह लंबे विलंब के बाद सिफारिश नहीं कर सकता, खासकर जब दस्तावेज को पंजीकृत करने वाले अधिकारी ने दस्तावेज के पंजीकरण के समय कोई संदर्भ नहीं दिया हो।

15. इस प्रकार, हम पाते हैं कि कलेक्टर द्वारा कार्यवाही शुरू करना पेटेंट अवैधता से ग्रस्त है और विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा इसे सही तरीके से रद्द कर दिया गया है। हमें वर्तमान लेटर्स पेटेंट अपील में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं मिलता है। "

5. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने ***शहनाज़ बेगम बनाम बिहार राज्य एवं अन्य*** के मामले में इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा दिए गए निर्णय पर भी भरोसा किया है, जिसकी रिपोर्ट 2018(2) पीएलजेआर 293 के कंडिका संख्या 6 से 9 में दी गई है, जिसका विवरण नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है:–

"6. इस प्रकार, यह निष्कर्ष निकलता है कि पंजीकरण प्राधिकारी मामले को पंजीकरण से पहले केवल कलेक्टर को संदर्भित कर सकता है ताकि ऐसी संपत्ति के उचित बाजार मूल्य और उस पर देय उचित शुल्क का निर्धारण किया जा सके। वर्तमान मामले में, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि पंजीकरण पहले ही हो चुका था और उसके बाद ही सही मूल्य के निर्धारण के लिए कलेक्टर/एआईजी पंजीकरण को संदर्भित किया गया था। इसके अलावा, यदि कलेक्टर द्वारा धारा 47 ए(3) के प्रावधानों के तहत स्वप्रेरणा से पंजीकरण के बाद कोई कार्यवाही शुरू की जानी थी, तो ऐसा उपधारा (1) के तहत पहले से ही उनके पास भेजे गए ऐसे उपकरण के पंजीकरण की तारीख से दो (2) वर्ष की अवधि के भीतर किया जा सकता था। धारा 47 ए(3) में बताए गए प्रावधान इस प्रकार हैं:-

> "कलेक्टर उप-धारा (1) के तहत पहले से ही उसे संदर्भित नहीं किए गए ऐसे उपकरण के पंजीकरण की तारीख से दो साल के भीतर स्वप्रेरणा से, उस संपत्ति के बाजार मूल्य की शुद्धता के बारे में खुद को संतुष्ट करने के उद्देश्य से उपकरण को मांग सकता है और उसकी जांच कर सकता है, जो ऐसे उपकरण की विषय-वस्तु है और उस पर देय शुल्क है और यदि ऐसी जांच के बाद उसके पास यह मानने का कारण है कि ऐसी संपत्ति का बाजार मूल्य उपकरण में ठीक से निर्धारित नहीं किया गया है, [या इस अधिनियम के तहत बनाए गए किसी भी नियम के अनुसार निर्धारित न्यूनतम मूल्य से भी कम है] तो वह उप-धारा (2) में प्रदान की गई प्रक्रिया के अनुसार ऐसी संपत्ति का बाजार मूल्य और पूर्वोक्त शुल्क निर्धारित कर सकता है। शुल्क की राशि में यदि कोई अंतर हो तो उसका भुगतान शुल्क का भुगतान करने वाले व्यक्ति द्वारा किया जाएगा।
>
> बशर्ते कि इस उप-धारा की कोई बात भारतीय डाक टिकट (बिहार संशोधन अध्यादेश, 1986) के प्रारंभ होने की तारीख से पूर्व पंजीकृत किसी भी दस्तावेज पर लागू नहीं होगी। "

7. दाखिल किए गए जवाबी हलफनामे से ऐसा प्रतीत होता है कि यह शुरू की गई कार्यवाही नहीं है, बल्कि यह धारा 47 ए (1) के तहत कलेक्टर के लिए एक संदर्भ था।

8. मामले के उस दृष्टिकोण में, क्योंकि प्रावधानों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ऐसी संपत्ति के उचित बाजार मूल्य और उस पर देय उचित शुल्क के निर्धारण के लिए कलेक्टर को पंजीकृत करने से पहले ही ऐसी जांच की जा सकती है। पूरा संदर्भ वैधानिक प्रावधानों के खिलाफ किया गया है और कानून की नजर में इसे कायम नहीं रखा जा सकता है। इस प्रकार, न्यायालय की सुविचारित राय में, अनुलग्नक–4 में निहित दिनांक 1 का विवादित आदेश पूरी तरह से अवैध और मनमाना है और इसे रद्द किया जाना चाहिए।

9. तदनुसार, अनुलग्नक–4 में निहित 16.05.2016 दिनांकित आक्षेपित आदेश रद्द कर दिया जाता है। रिट आवेदन की अनुमति है। कोई लागत नहीं। "

6. इसके विपरीत, प्रतिवादियों के विद्वान वकील ने, शुरू में, जिला उप–पंजीयक, कैमूर (भभुआ) द्वारा दिनांक 17.12.2022 को दिए गए संदर्भ का हवाला देते हुए प्रस्तुत किया है कि महालेखाकार कार्यालय द्वारा पत्र दिनांक 13.9.2022 के माध्यम से यह इंगित करते हुए कि विचाराधीन भूमि का कुछ भाग मनोज कुमार श्रीवास्तव अर्थात याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 3.9.2021 के बिक्री विलेख के माध्यम से खरीदा गया था, जिसमें भूमि को सिंचित श्रेणी में दिखाया गया था, जबकि इस भूखंड का कुछ भाग उनके द्वारा दिनांक 26.10.2021 के बिक्री विलेख के माध्यम से बेचा गया था, जिसमें भूमि को आवासीय श्रेणी में दिखाया गया था, जिसके परिणामस्वरूप राज्य सरकार को राजस्व की भारी हानि हुई थी, कैमूर के भभुआ स्थित जिला अवर निबंधक ने प्रधान लिपिक को जांच करने का निर्देश दिया था, जिन्होंने स्थल सत्यापन किया था और उक्त भूमि के 200 मीटर के दायरे में कई घर पाए थे, अत: उन्होंने तदनुसार अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसके अनुसरण में जिला अवर निबंधक, कैमूर (भभुआ) ने सहायक महानिरीक्षक निबंधन, पटना प्रमंडल, पटना से मार्गदर्शन मांगा था, जिन्होंने मामले को कलेक्टर–सह–जिला दंडाधिकारी को संदर्भित करने की सलाह दी थी मामला अधिनियम, 1899 की धारा 47 ए (3) के तहत कलेक्टर–सह–जिला दंडाधिकारी, कैमूर (भभुआ) को भेजा गया था। इस प्रकार, यह प्रस्तुत किया गया है कि अधिनियम, 1899 की धारा 47 ए (3) के तहत, कलेक्टर के पास प्रश्नगत उपकरण के पंजीकरण की तारीख से दो साल के भीतर स्वप्रेरणा से, कलेक्टर को यह शक्ति प्राप्त है कि वह प्रश्नगत लिखत के पंजीकरण की तारीख से दो वर्ष के भीतर स्वयं प्रेरणा से लिखत को मंगा सकता है और उसकी जांच कर सकता है ताकि वह संपत्ति के बाजार मूल्य और उस पर देय शुल्क की सत्यता के बारे में स्वयं संतुष्ट हो सके, जिसके बाद वह उप–धारा 2 में प्रदत्त प्रक्रिया के अनुसार, पूर्वोक्त रूप से ऐसी संपत्ति और शुल्क का बाजार मूल्य निर्धारित कर सकता है और घाटे वाले स्टाम्प शुल्क का भुगतान करने का निर्देश दे सकता है। इस प्रकार,

याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि विद्वान कलेक्टर ने अधिनियम, 1899 की धारा 47 ए (3) के तहत कार्यवाही शुरू करने का सही तरीका अपनाया है, क्योंकि यह बिक्री विलेख के पंजीकरण के दो साल के भीतर शुरू किया गया है, इसलिए, कलेक्टर–सह–जिला दंडाधिकारी, कैमूर (भभुआ) के विद्वान न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 5.9.2023 के विवादित आदेश में कोई कमी नहीं है।

7. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया है। इस न्यायालय ने वर्तमान मामले में दायर प्रति–शपथपत्र के पैराग्राफ संख्या 10 से पाया है कि निःसंदेह, जिला उप–पंजीयक, कैमूर (भभुआ) ने दिनांक 17.12.2022 के पत्र के माध्यम से, घाटे के स्टाम्प शुल्क की वसूली के लिए मामले को विद्वान कलेक्टर–सह–जिला दंडाधिकारी, कैमूर (भभुआ) को संदर्भित किया है, इसलिए निःसंदेह, विद्वान कलेक्टर–सह–जिला दंडाधिकारी, कैमूर (भभुआ) ने स्वप्रेरणा से संबंधित कार्यवाही आरंभ नहीं की है। इस समय, अधिनियम, 1899 की धारा 47 ए(3) को नीचे पुन: प्रस्तुत करना प्रासंगिक होगा:–

> "47–ए (3)। कलेक्टर उप–धारा (1) के तहत पहले से ही उसके पास संदर्भित नहीं किए गए ऐसे उपकरण के पंजीकरण की तारीख से दो वर्ष के भीतर स्वप्रेरणा से, उस संपत्ति के बाजार मूल्य की शुद्धता के बारे में खुद को संतुष्ट करने के उद्देश्य से उपकरण को मांग सकता है और उसकी जांच कर सकता है, जो ऐसे उपकरण की विषय–वस्तु है और उस पर देय शुल्क है और यदि ऐसी जांच के बाद, उसके पास यह मानने का कारण है कि ऐसी संपत्ति का बाजार मूल्य उपकरण में ठीक से निर्धारित नहीं किया गया है (या इस अधिनियम के तहत बनाए गए किसी भी नियम के अनुसार निर्धारित न्यूनतम मूल्य से भी कम है), तो वह उप–धारा (2) में प्रदान की गई प्रक्रिया के अनुसार पूर्वोक्त रूप से ऐसी संपत्ति और शुल्क का बाजार मूल्य निर्धारित कर सकता है, शुल्क की राशि में अंतर, यदि कोई हो, शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा देय होगा। परन्तु इस उपधारा की कोई बात बिहार स्टाम्प (बिहार संशोधन) अध्यादेश, 1986 के प्रारम्भ की तारीख के पूर्व पंजीकृत किसी लिखत पर लागू नहीं होगी। "

8. अधिनियम, 1899 की धारा 47 ए (3) के पठन से यह स्पष्ट है कि कलेक्टर–सह–जिला दंडाधिकारी, कैमूर (भभुआ) स्वतः ही घाटे के स्टाम्प शुल्क की वसूली के लिए स्वप्रेरणा से कार्यवाही तभी शुरू कर सकता है, जब ऐसा उपकरण पहले से ही अधिनियम, 1899 की धारा 47 ए की उप–धारा 1 के तहत उसे संदर्भित नहीं किया गया हो, हालांकि, वर्तमान मामले में, जिला उप–पंजीयक,

कैमूर (भभुआ) द्वारा पत्र दिनांक 17.12.2022 के तहत धारा 47 ए (1) के तहत संदर्भ दिया गया है, इसलिए, वर्तमान मामला निश्चित रूप से अधिनियम, 1899 की धारा 47 ए (1) के दायरे में आएगा, इस प्रकार यह न्यायालय पाता है कि उप–पंजीयक, कैमूर (भभुआ) द्वारा 3.9.2021 को बिक्री विलेख के पंजीकरण के बाद संदर्भ नहीं दिया जा सकता था, इसलिए, बेशक, जिला उप–पंजीयक, कैमूर भभुआ के पास पंजीकरण के बाद, मामले को विद्वान कलेक्टर–सह–जिला दंडाधिकारी, कैमूर (भभुआ) को संदर्भित करने का कोई अधिकार/क्षेत्राधिकार नहीं था। बिक्री विलेख की अधिसूचना दिनांक 3.9.2021 को जारी की गई थी, क्योंकि यह अधिनियम, 1899 की धारा 47 ए(1) के तहत वर्जित है। उपरोक्त चर्चाओं से यह भी स्पष्ट है कि विद्वान समाहर्ता–सह–जिला दंडाधिकारी, कैमूर (भभुआ) ने प्रश्नगत मामले अर्थात् स्टाम्प अपील वाद संख्या 3/2023 को स्वतः संज्ञान से पंजीकृत नहीं किया है तथा मामला केवल उप–पंजीयक, कैमूर, भभुआ द्वारा संदर्भित किये जाने पर पंजीकृत किया गया है, इस प्रकार उक्त स्टाम्प अपील वाद संख्या 3/2023 की शुरूआत अधिनियम, 1899 की धारा 47 ए(1) के अंतर्गत निहित प्रावधानों के विरुद्ध है। वास्तव में, वर्तमान मामला शहनाज़ बेगम (सुप्रा) के मामले में इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा दिए गए निर्णय द्वारा पूरी तरह से कवर किया गया है। नतीजतन, यह न्यायालय पाता है कि कैमूर (भभुआ) में जिला उप–पंजीयक, और साथ ही विद्वान कलेक्टर–सह–जिला दंडाधिकारी, कैमूर (भभुआ) की कार्रवाई न केवल मनमानी और विकृत है, बल्कि अधिनियम, 1899 की धारा 47 ए(1) के अधिदेश के भी खिलाफ है, इसलिए, विद्वान कलेक्टर–सह–जिला दंडाधिकारी, कैमूर (भभुआ) द्वारा स्टांप अपील वाद संख्या 3/2023 में पारित दिनांक 5.9.2023 का विवादित आदेश, कानून की नजर में टिकने योग्य नहीं होने के कारण, रद्द किया जाता है। दिनांक 5.9.2023 के विवादित आदेश को रद्द करने के परिणामस्वरूप, प्रतिवादी प्राधिकारियों द्वारा की गई कोई भी परिणामी कार्रवाई शून्य और अमान्य हो जाएगी।

9. रिट याचिका स्वीकार की जाती है।

(मोहित कुमार शाह, न्यायमूर्ति)

अजय/–

खंडन (डिस्क्लेमर)– स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वियन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा